राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर
कार्यालय आदेश
संशोधित आन्तरिक जाँच कार्यक्रम

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 18977–18987 दिनांक 15.12.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए जाँच दल को आवंटित कार्यालय **आयुक्त, मिड–डे–मील योजना, जयपुर** का अंकेक्षण कार्यक्रम स्थगित कर उसके स्थान पर श्री मुकेश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम एवं प्रभारी, आन्तरिक जाँच दल संख्या–12 मु0–जयपुर (दल सदस्य श्री विकास जोशी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय व श्री नवीन कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय) का संशोधित आंतरिक जॉच कार्यक्रम माह जनवरी, 2018 से निम्न अंकितानुसार जारी किया जाता हैं :–

क्र.स.	कार्यालय का नाम	लेखा वर्ष	कुल वर्ष	कार्य दिवस	अवधि
1	उप महानिदेशक, एन.सी.सी. जयपुर	2015–17	2	18	09.01.2018 से 02.02.2018
2	प्रधानाचार्य, राजकीय पोलोटेक्नीक महाविद्यालय, जैसलमेर	प्रारम्भ से 2017		18	06.02.2018 से 28.02.2018
3	प्राचार्य, स्व. श्री मिश्री लाल सांवल, राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जैसलमेर	प्रारम्भ से 2017		18	06.03.2018 से 28.03.2018

विशेष निर्देश :–

1. प्रत्येक जांच कार्यक्रम प्रारम्भ की सूचना आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता या प्रभारी आंतरिक जांच शाखा को फोन पर दी जावे। तत्पश्चात् कार्य प्रारम्भ की सूचना दल सदस्यो के पूर्ण विवरण व उस विभाग के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का नाम व उस विभाग के दूरभाष नम्बर सहित लिखित में विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
2. आंतरिक जाँच सम्बन्धि कार्य, Manual for Inspection Parties of accounts and stores, 1982 वित्त (राजस्व एवं लेखा–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.06.1976, 13.07.2017 एवं विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 के तहत प्रदत्त निर्देशो अनुसार सम्पादित किया जावे
3. जॅाच दल द्वारा प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण संबंधी हुए कार्य की प्रगति, रिकॉर्ड देने, नही देने की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेंगें।
4. **निर्धारित आवंटित जाँच कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन व उसमें किसी प्रकार की समयावृद्धि किया जाना सम्भव नही होगा। निर्धारित आंवटित समय पर ही जांच कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो विशेष परिस्थिति में अंकेक्षण समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व समय रहते निदेशक/अतिरिक्त निदेशक से अवधि बढ़ाने आदि की अनुमति प्राप्त कर विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।**
5. अंकेक्षण के दौरान जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करेगें तथा प्रतिवेदन के साथ पृथक से प्रस्तुत करेगें।
6. जिन विभागों/कार्यालयों में शनिवार का कार्य दिवस होता है उन कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम आवंटित होने पर जाँच दल उन विभागों/कार्यालयों में शनिवार कार्य दिवसों को भी अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे।
7. प्रत्येक जांच प्रतिवेदन 3 प्रतियो में एवं उसके साथ अनुच्छेदों का वर्गीकरण प्रपत्र पैरा विवरण, कोड सहित (2 प्रति में), सम्बन्धित सम्पूर्ण परिशिष्ठों के दो सेट एवं जांच दल की दैनिक कार्य विवरण डायरी (2 प्रति में), निर्धारित प्रपत्र (विभागीय कवरिंग लैटर अनुसार) में आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवायेगें। मूल जॉच प्रतिवेदन मय परिशिष्ट/प्रपत्र आदि के फाईल कवर में नत्थी कर मुख्यालय को प्रेषित करावे।
8. अंकेक्षण कार्यक्रमों के मुख्यालय को प्रस्तुत यात्रा भत्ता बिल वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2017 के तहत ऑनलाईन भिजवाना सुनिश्चित करावे। बिलो की हार्डप्रति दल प्रभारी से यात्रा प्रमाणित कराकर उसके साथ सम्बन्धित आदेशो की प्रति, अवधि की दैनिक कार्य डायरी, उपस्थिति पंजिका प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करें।
9. जांच प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर टंकित कराकर प्रेषित किये जावे। जॉच प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर जाँच दल के हस्ताक्षर अंकित करे, जॉच प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति के बाद शीघ्र विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(कुलदीप कुमार सिंघल)
अतिरिक्त निदेशक (आन्तरिक जाँच)

क्रमांक : एफ.6(आई)प्रोग्राम आ.जॉ.द.12/निरी./ 527 – 537
दिनांक : 09|01|2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर को वित्त अंकेक्षण विभाग के पत्र क्रमांक प.6 (1) वित्त/अंके./2012 पार्ट–II दिनांक 31.07.2012 के क्रम में उक्त जॉच कार्यक्रम वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
3. **आयुक्त, मिड–डे–मील योजना, जयपुर** को उनके पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 05.01.2018 के सन्दर्भ में प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय का माह जनवरी, 2018 में प्रस्तावित अंकेक्षण कार्यक्रम आपके चाहेनुसार स्थगित रखा जाता है।
4. श्री मुकेश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम एवं प्रभारी, आन्तरिक जॉच दल सं. 12 मु0–जयपुर को प्रेषित कर निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे दल सदस्यो सहित विभाग द्वारा जारी उक्त संशोधित आन्तरिक जॉच कार्यक्रम निर्धारित क्रमानुसार एवं समयानुसार ही सम्पादित करें। मुख्यालय उपस्थित होकर दल कार्य करने एवं जांच कार्य की प्रगति से अवगत कराने हेतु जॉच दल का दिनांक 01.01.2018, 05.02.2018, 05.03.2018, 02.04.2018 को मुख्यालय रखा जाता है।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. अतिरिक्त निदेशक (आ.जॉच)/अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)।
7. रोकड / स्थापना / विशेष जांच शाखा / भौतिक सत्यापन शाखा / गार्ड फाईल।

(कुलदीप कुमार सिंघल)
अतिरिक्त निदेशक (आन्तरिक जाँच)